

न्यायालय नायब तहसीलदार ...झालरा... (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का झालरा
बनाम

अप्रार्थी :- श्री राधचन्द्र जुवायम निवासी झालरा अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व
अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या ...27/2018
निर्णय —

दिनांक 29.5.18

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का झालरा में
अप्रार्थी के विरुद्ध टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत् 2015 में सरहद लाकेयास
के खसरा नम्बर 137 मी. किरम 0.32 ई में रकबा 0.32 ई वीघा भूमि में काईलाबा
कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज
किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी
से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री
ने दिनांक को उपस्थित होकर
प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट
का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी का मंजा लाकेयास के खसरा नम्बर 137 किरम में
में रकबा 0.32 ई वीघा का भूमि पर अतिक्रमण किया जाना वर्तमान में
सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमण भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से
बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 6 रुपये प्रति वीघा की
दर से अतिक्रमण रकबा 0.32 ई वीघा भूमि के 1.92 रुपये लगान का 50 गुणा 96
/- अक्षरे छिन्न रुपये दत्तौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि
तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे।
पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर
पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक 29.5.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार गीलवा